क्रमांक- 66

मध्यप्रदेश विधान सभा
पत्रक भाग-दो
सोमवार, दिनांक 10 जुलाई, 2017 (आषाढ़ 19, 1939)

भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन.

भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के सिलसिले में आगामी सोमवार, दिनांक 17 जुलाई, 2017 को मध्यप्रदेश विधान सभा भवन, भोपाल स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 (एम-02,भूतल) में बनाये गये मतदान केन्द्र पर पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक मतदान होगा.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और अनुच्छेद 55 (3) सहपठित राष्ट्रपतीय एवं उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 18 तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के समनुरूप नियम 39(5) के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017 के लिए मतदान के दौरान मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए समस्त निर्वाचकों हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये हैं:-

मतदान स्थान पर मतदान की प्रक्रिया के दौरान निर्वाचकों द्वारा गोपनीयता बनाये रखना :-

(अ) जैसा कि उक्त नियम 18 में निर्धारित है-

(1) प्रत्येक निर्वाचक जिसे नियम 14 के अन्तर्गत मतपत्र दिया गया है, वह मतदान स्थान के भीतर मतदान की गोपनीयता बनाए रखेगा तथा इस उद्देश्य से इसमें इसके पश्चात् निर्धारित मतदान प्रक्रिया का अनुपालन करेगा.

(2) मतपत्र प्राप्त होने पर, निर्वाचक तत्काल –

(क) मतदान कम्पार्टमेन्टों में से किसी मतदान कम्पार्टमेन्ट में जाएगा;

(ख) नियम 17 के उपनियम (2) के अनुसार अपना मत रिकार्ड करेगा;

(ग) मतपत्र को इस प्रकार मोड़ेगा ताकि उसका मत छिप जाए;

(घ) पीठासीन अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर, निर्वाचक इस प्रयोजनार्थ पीठासीन अधिकारी अथवा पीठासीन अधिकारी द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत मतदान अधिकारी को मतपत्र के पीछे विशिष्ट चिह्न को दिखाएगा;

(ड.) मुड़े हुए मतपत्र को मतपेटी में डाल देगा; और

(च) मतदान के स्थान से चला जाएगा.

(3) प्रत्येक निर्वाचक बिना किसी विलम्ब के मतदान करेगा.

(4) जब कोई अन्य निर्वाचक मतदान कम्पार्टमेंट के भीतर हो तो किसी भी निर्वाचक को उसके भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

(आ) प्रत्येक निर्वाचक को यह भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि :-

(1) यदि कोई निर्वाचक, जिसे मतपत्र जारी किया गया है, पीठासीन अधिकारी द्वारा दी गई चेतावनी के पश्चात् उपर्युक्त पैरा अ(2) से अ(4) तक में यथानिर्धारित प्रक्रिया का पालन करने से इंकार करता है, तो इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि उसने अपना मत रिकार्ड किया है या नहीं, पीठासीन अधिकारी या पीठासीन अधिकारी के निदेश के अधीन किसी मतदान अधिकारी द्वारा उसे जारी किया गया मतपत्र उससे वापस ले लिया जाएगा और उक्त निर्वाचक को कोई भी नया मतपत्र जारी नहीं किया जाएगा. ऐसे वापस लिये गये मतपत्र को पीठासीन अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से रद्द कर दिया जाएगा और एक अलग लिफाफे में सीलबंद करके मतयुक्त मतपेटी तथा अन्य निर्वाचन सामग्रियों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को भेजा जाएगा.

(2) उपर्युक्त पैरा आ (1) में वर्णित निदेश के बावजूद, यदि कोई निर्वाचक मतपेटी में अपना मतपत्र डालता है, तो अधपन्ने से मतपत्र की क्रम संख्या सुनिश्चित की जाएगी और पीठासीन अधिकारी द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को मत की गोपनीयता के उल्लंघन के संबंध में एक रिपोर्ट भेजी जाएगी.

(3) मतगणना के समय, रिटर्निंग ऑफिसर उक्त मतपत्र को अलग करेंगे और निरस्त करेंगे तथा उक्त मतपत्र को मतगणना के प्रयोजन के लिए नहीं लिया जायेगा.

अवधेश प्रताप सिंह,
राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017
के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.